17

न्यायालय कलेक्टर, जिला रतलाम (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक 13/अ–20(3)/2019–20

:: आदेश ::

(पारित दिनांक 09/10/2019)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि कार्यपालन यंत्री जल संशाधन संभाग रतलाम के द्वारा पत्र कमांक 1241/टी.एस./19–20 रतलाम दिनांक 30.05.201 से रतलाम–बाजना–कुशलगढ मार्ग के ग्राम पलसोडी रकबा 0.1 हेक्टर, ग्राम बटपाडी रकबा 0.144 हेक्टर, ग्राम छावनी झोडिया रकबा 0.431 हेक्टर ग्राम राजापुरा माजाजी रकबा 1.061 हेक्टर, ग्राम घाटा खेरदा रकबा 1.54 कुल रकबा 3.375 हेक्टर वन क्षैत्र से निकलने वाले भाग हेतु ग्राम कंसेर तहसील पिपलौदा में चिन्हीत गई राजस्व भूमि सर्वे कमांक 118/3 में से वन विभाग को हस्तांतरित किया जाने का अनुरोध किया गया।

2/– कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग रतलाम के उपर्युक्त प्रस्ताव के संबध में नायब तहसीलदार पिपलोदा द्वारा जांच के कम में संबंधित पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक से रिपोर्ट प्राप्त की गई। नायब तहसीलदार, पिपलोदा द्वारा अपने जॉच प्रतिवेदन दिनांक 20.08.2019 में उक्त समस्त तथ्यो का उल्लेख करते प्रतिवेदित किया गया कि रतलाम–बाजना–कुशलगढ मार्ग के ग्राम पलसोडी रकबा 0.1 हेक्टर, ग्राम बटपाडी रकबा 0.144 हेक्टर, ग्राम छावनी झोडिया रकबा 0.431 हेक्टर ग्राम राजापुरा माजाजी रकबा 1.061 हेक्टर, ग्राम घाटा खेरदा रकबा 1.54 कुल रकबा 3.375 हेक्टर वन क्षैत्र से निकलने वाले भाग हेतु ग्राम कंसेर तहसील पिपलौदा में चिन्हीत गई राजस्व भूमि सर्वे कमांक 118/3 रकबा 14.67 हेक्टर में से रकबा 3.37 हेक्टर भूमि वन विभाग को आवंटित किया जाकर शेष भूमि रकबा 11.30 हेक्टर भूमि पुनः राजस्व विभाग की भूमि दर्ज किया जाना प्रस्तावित कर प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी, जावरा को भिजवाया गया। अनुविभागीय अधिकारी,जावरा द्वारा नायब तहसीलदार, पिपलौदा के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए प्रकरण मय अनुशंसा के इस न्यायालय को प्रेषित किया गया।

अतः कार्यपालन यंत्री जल संसाघन संभाग रतलाम के अनुरोध एवं अधीनरथों के जॉच प्रतिवेदन एवं की गई अनुशंसा की सहमति के आधार पर पूर्व में इस न्यायालय के आदेश कमांक 49/अ–20(3)/2017–18 पारित आदेश दिनांक 03.08.2019 को निरस्त करते हुए ग्राम कंसेर तहसील पिपलौदा में चिन्हीत की गई राजस्व भूमि सर्वे कमांक 118/3 रकबा 14.67 हेक्टर में से रकबा 3.37 हेक्टर भूमि वन विभाग को राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड–चार–2 की कंडिका 05 के तहत आवंटित कि जाकर शेष भूमि रकबा 11.30 हेक्टर भूमि पुनः राजस्व विभाग में दर्ज किया जाता हैं।

rv

कलेक्टर
जिला रतलाम

निरन्तर....2

Scanned by CamScanner

प्रकरण क्रमांक 13/अ-20(3)/2019-20

पृ.क्रमांक 3815/रीडर-1/2019 रतलाम दिनांक 10 /10/2019

प्रतिलिपि :-

1-मुख्य वन संरक्षक भू-प्रबंधन वन विभाग, म.प्र. शासन भोपाल।

2-वन संरक्षक, उज्जैन वृत्त उज्जैन ओर सूचनार्थ प्रेषित।।

3-आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

4-वनमण्डलाधिकारी, रतलाम।

5-वन परिक्षैत्राधिकारी, वन परिक्षेत्र रतलाम

~~6-कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग संभाग रतलाम~~

7-अनुविभागीय अधिकारी जावरा/सैलाना।

8-तहसीलदार तहसील जावरा/रावटी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कलेक्टर

जिला रतलाम

Scanned by CamScanner